न्यायालय– सिविल जज(एस.डी.)/ए.सी.जे.एम., कसया, कुशीनगर।
पीठासीन अधिकारी– (शैलेश पाण्डेय), (न्यायिक सेवा) – UP02093

Warrant or Summons Criminal Case No./257/2020

जियाउद्दीन प्रति अताहुसैन आदि।

तलबी आदेश

11.04.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

संक्षेप में परिवादी का कथन है कि विपक्षी अता हुसैन अपने गांव में स्थित आराजी नं० 630 रकबा 0.470 हे० भूमि में अपना हक व हिस्सा 1/6 अंश विक्रय हेतु कुछ जरूरी काम पैसा का बताकर परिवादी को विक्रय करने की बात तय किया तो परिवादी उक्त आराजी नं० 630 में अता हुसैन की हिस्से की भूमि 0.078– 1/3 हे० उचित प्रतिफल देकर दिनांक 16.12.2002 को रजिस्टर्ड बैनामा अपनी पत्नी मदीना खातून के नाम क्रय किया तथा जरिये नामान्तरण सरकारी रेकार्ड में परिवादी के पत्नी का नाम दर्ज हो गया। अता हुसैन से उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 16.12.2002 को प्राप्त करने के बाद परिवादी उक्त भूमि में फसलियात काश्त करने लगा तथा कोई भी व्यक्ति अवरोध विरोध नहीं उत्पन्न किया। उसने उक्त भूमि में धान की फसल काश्त किया था जो पककर तैयार था। दिनांक 06.11.2019 को समय करीब 08.00 बजे सुबह उसको सूचना मिला कि अभियुक्तगण अता हुसैन, रेशमा खातून, सद्दाम हुसैन, मसरफ अंसारी एक राय व गोल होकर उसके के खेत में धान की फसल को चोरी से काट रहे है तो वह साक्षीगण जियाउद्दीन अंसारी, मदीना खातून, शमसाद, बैतुल्लाह एवं गांव के कुछ व्यक्तियों को लेकर मौके पर पहुँचा तो देखा कि अभियुक्तगण उपरोक्त फसल काटरक धान की बोझा बांध रहे थे। मना करने पर सभी अभियुक्तगण उसे तथा उसकी पत्नी मदीना को साले माधड़चोद व भोसडी की अपमानजनक गालियां देते हुए हँसिया लेकर जान से मारने की धमकी देने लगे तथा फसल को वनियत चोरी जबरजस्ती उठा ले गये। वह तथा उसकी पत्नी बृद्ध कमजोर है तथा मौके पर कुछ नहीं कर सके। उपरोक्त गवाहों एवं अन्य व्यक्ति घटना को देखे तथा बीच बचाव किये। परिवादी द्वारा थानाध्यक्ष कुबेरस्थान तथा पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर से लिखित शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अतः परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर विपक्षीगण को दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को द.प्र.सं. की धारा 200 के अन्तर्गत तथा साक्षीगण शमशाद पुत्र इसहाक, पी०डब्लू० 1 तथा मदीना खातून पत्नी जियाउद्दीन, पी०डब्लू० 2 को दं०प्र०सं० की धारा 202 के अन्तर्गत परीक्षित कराया। परिवादी के अपने बयान 200 द.प्र.सं. में विपक्षीगण अताहुसैन व उसकी पत्नी परिवादी के धान का फसल काट कर उठा ले गये। परिवादी ने वह खेत अताहुसैन से ही बैनामा लिया था, लेकिन खेत को लेकर कोई विवाद नहीं था। विपक्षीगण गाली गुप्ता और हंसिया लेकर जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है जिसका साक्षीगण ने समर्थन किया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों में विपक्षीगण अताहुसैन तथा रेशमा खातून के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 379, 504, 506 का प्रथम–दृष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्तगण अताहुसैन तथा रेशमा खातून को विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अताहुसैन तथा रेशमा खातून को भा.द.सं. की धारा 379, 504, 506 में विचारण हेतु आहूत किया जाता है। परिवादी साक्षीगण की सूची पत्रावली पर सात दिन में दाखिल करे व आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह प्रस्तुत करें। बाद दाखिल सूची व पैरवी अभियुक्तगण के विरुद्ध समन जारी हो।

पत्रावली दिनांक 20.05.2022 को पेश हो।

दिनांक: 11.04.2022

सिविल जज (एस.डी.)/ए.सी.जे.एम.
कसया, कुशीनगर ।

Digitally signed by SHAILESH PANDEY
Date: 2022.04.04 21:21:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court